हेमचंद यादव विश्वविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)

Email: registrar@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359100

कमांक 525 / अका. / शोध / 2018 दुर्ग, दिनांक 14.09.2018

/ / निर्देश / /

विषयः— शोध उपाधि हेतु निर्देशकों के निर्देशन स्थान निर्धारण एवं निर्देश विषयक।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी शोध निर्देशकों के निर्देशन हेतु रिक्त स्थानों के संदर्भ में अध्यादेश 45 के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है—

1. शोध निर्देशकों के रिक्त स्थानों का बंटवारा—

क्र.	शोध निदेशक का पद	कुल स्थान	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित
1	प्राध्यापक	8	3	1	1	3
2	सह—प्राध्यापक	6	2	1	1	2
3	सहायक प्राध्यापक	4	1	0	1	2

उपरोक्त के साथ ही सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन पर आधारित।)

2. ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नही है, उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निर्देशक के नजदीकी शोध केन्द्र में किया जावेगा तथा शोधार्थी को शोध केन्द्र में एक सह—निर्देशक लेना होगा।
3. उपरोक्त के आधार पर शोधार्थियों को यह सूचित किया जाना है कि—
शोध उपाधि प्रवेश परीक्षा में योग्य घोषित एवं शोध प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त ऐसे शोधार्थी जिन्होने आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया था, को जमा आवेदन वि.वि. से प्राप्त कर किसी भी मान्य शोध निर्देशक की सहमति प्राप्त कर शोध पंजीयन आवेदन प्रपत्र को पूर्ण कर शोध केन्द्र में यथाशीघ्र जमा करें।
4. शोध केन्द्रों द्वारा पंजीयन आवेदन स्वीकार करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की वैधता परिणाम घोषित होने से दो वर्ष के लिए मान्य होती है।
5. शोध निर्देशकों / शोध केन्द्रों की सूची वि.वि. के वेब—साईट पर उपलब्ध है।
6. शोधार्थियों के द्वारा प्रस्तुत पंजीयन आवेदन पत्र पर विभागीय शोध समिति द्वारा विचार किया जावेगा तथा छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति का पालन करते हुए शोध निर्देशकों का निर्धारण पारस्परिक सम्मति के आधार पर किया जावेगा। विभागीय शोध समिति की बैठक की सूचना अध्यक्ष विभागीय शोध समिति द्वारा संबंधितों को उचित

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)
Email: registrar@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359100

7. माध्यम से दी जावेगी। शोध केन्द्रों द्वारा यह कार्यवाही यथा संभव समय के भीतर सम्पन्न किया जावेगा।
8. विभागीय शोध समिति की अनुशंसा उपरांत शोधार्थी 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर शोध केन्द्र में नियमानुसार प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
9. समस्त शोध केन्द्रों द्वारा यथासंभव अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से कोर्स वर्क का अध्यापन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. जिन शोधार्थियों की शोध रूपरेखा शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ऐसे आवेदकों की शोध रूपरेखा शोध केन्द्रों द्वारा विभागीय शोध समिति की अनुशंसा सहित अकादमिक विभाग को उपलब्ध कराया जावेगा।
11. संबंधित विभागीय शोध समिति द्वारा यह ध्यान रखा जावेगा कि Human Ethical, Animal Ethical, Human Rights, Environmental Protection से संबधित विषयों की शोध रूपरेखा संबंधित समिति की अनुमति उपरांत ही शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कुलसचिव

क्रमांक 526/अका./शोध/2018 दुर्ग, दिनांक 14.09.2018

प्रतिलिपिः—

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण मंडल, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग
3. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव वि.वि.दुर्ग कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव अकादमी